



पत्रांक : 824 / फा0सं0-1570 / भर्ती सेल / DSMNRU / 2022-23

दिनांक : 15 / 07 / 2023

// आवश्यक सूचना //

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा योजित पी.आई.एल. संख्या 185 ऑफ 2022 के सम्बन्ध में पारित आदेश एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं.-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 तथा मा0 कार्य परिषद की 42वीं बैठक के बिन्दु सं0-6/42 पर दिव्यांगजन के पदों का चिन्हांकन हेतु प्रदत्त निर्णय के अनुपालन में शैक्षिक संवर्ग के सृजित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन सं0-42, 43, 44, 45 एवं 46 (प्रोफेसर, हिन्दी के 01 पद, जिस पर नियुक्ति की जा चुकी है, को छोड़कर) को निरस्त किया जाता है।

उक्त शैक्षिक संवर्ग हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापनों (विज्ञापन सं0-42, 43, 44, 45 एवं 46) के सापेक्ष किये गये आवेदन के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा पुर्नविज्ञापन कराये जाने पर उन्हें आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, परन्तु आवेदकों को पुनः आवेदन करना होगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. प्रभारी, भर्ती सेल, विश्वविद्यालय।
4. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव